उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-126/2026/636 के-2/22-3-2025-17(427)/2025

लखनऊः दिनांकः 23 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सुरेश सिंह उर्फ पप्पू (बन्दी संख्या-27031) पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, निवासी-ग्राम रन्जीतपुर, थाना-शिवली, जनपद-कानपुर देहात, जिन्हें (1) सत्र परीक्षण सं0-1297/2007, में भा0द0वि0 की धारा-302, 394, 411 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-14, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 02.03.2009 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। (2) सत्र परीक्षण सं0-1238/2008, धारा-20(बी)11(बी) एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-03, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 04.06.2009 द्वारा 01 वर्ष, 10 माह के कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 28-05-2025 तक 16 वर्ष, 10 माह, 23 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 07 माह, 08 दिन की सपरिहार सजा भोगने तथा जेल आचरण सन्तोषजनक होने के दृष्टिगत बन्दी को उ0प्र0 जेल मैनुअल, 2022 के प्रस्तर-180 के अन्तर्गत नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि बन्दी को किसी अन्य वाद में कारागार में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, कानुपर देहात के संतोषानुसार दो जमानत मुचलके तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बंदी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

3- पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (क्रि0) संख्या-491/2022 बिलकीस याकूब रसूल बनाम भारत संघ व अन्य तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।